

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारी विश्वजीत सिंह (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :-62/2020 (2020/00178)

दर्ज दिनांक 14.09.2020

अन्तर्गत धारा :-53 आर.टी.एक्ट

शीर्षक

1. कस्तुरचन्द पिता कालुदान बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. गीतादेवी पत्नि कालुदान बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. राकेशकुमार पिता समुन्द्रसिंह बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रणजीतसिंह पिता समुन्द्रसिंह बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. पीरूसिंह पिता अबेसिंह बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. नादानसिंह पिता अबेसिंह बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. समताकंवर पुत्री अबेसिंह बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. रामकंवर पत्नि अबेसिंह बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. गणपत पिता भैरुदान बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. ग्राम सेवा सहकारी समिति रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिये व्यवस्थापक
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

उपस्थिति:-

अधिवक्ता वादी:- हरिश चन्द्र टेलर
प्रतिवादी सं0 1, 2:- जाकिर हुसैन
प्रतिवादी सं0 9:- परोकार सरकार

:: अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 ::
(वास्ते अंतिम डिक्री जारी करने बाबत)

:: निर्णय ::

दिनांक 13.02.2025

1. संक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई के इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 16.06.2022 के द्वारा वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया गया कि राजस्व ग्राम सगरेव पटवार हल्का सगरेव तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 एवं 3 लगायत 6 के पिता एवं पति अबेसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 7 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 1285 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 1286 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 1287 रकबा 0.03 है0 गै.मु.आचा, आराजी संख्या 1288 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 1290 रकबा 0.33 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.91 है0 भूमि में वादीगण का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1, 2 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 7 का 1/4 हिस्से का मौके पर कब्जे एवं हिस्से को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक



सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

डिक्री की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

2. तहसीलदार रायपुर ने अपने पत्रांक/भ.अ./2024/67 दिनांक 13.01.2025 से प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया।
3. तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित उक्त विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। उभयपक्ष द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की तथा मौका कब्जा संबंधी किसी प्रकार का एतराज जाहिर नहीं किया, अतः प्रारम्भिक डिक्री की पालना स्वरूप उक्तानुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुरूप अंतिम डिक्री जारी किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे०)
1	2	3	4	5
1	कस्तुरचन्द पुत्र कालूदान बड़वा 1/2, गीतादेवी पत्नि कालूदान बड़वा 1/2 सा. देह खातेदार	ग्राम सगरेव (खाता संख्या 69)	1286/3 1290/2 1285/1	0.02 0.15 0.05
		योग	3	0.22
2	रणजीसिंह पुत्र समुन्द्रसिंह बड़वा 1/2, राकेशकुमार पुत्र समुन्द्रसिंह बड़वा 1/2, सा. देह खातेदार	ग्राम सगरेव (खाता संख्या 69)	1286/2 1288/2 1290/1	0.08 0.09 0.05
		योग	3	0.22
3	नादानसिंह पुत्र अबेसिंह बड़वा 1/4, पीरूसिंह पुत्र अबेसिंह बड़वा 1/4, रामकंवर पत्नि अबेसिंह बड़वा 1/4, समताकंवर पुत्री अबेसिंह बड़वा 1/4 सा. देह खातेदार	ग्राम सगरेव (खाता संख्या 69)	1285/2 1290/3	0.09 0.12
		योग	2	0.22
3	गणपतसिंह पुत्र भेरूदान बड़वा सा. देह खातेदार	ग्राम सगरेव (खाता संख्या 69)	1286/1 1288/1	0.10 0.12
		योग	2	0.22
4	सामलात बदस्तुर	ग्राम सगरेव (खाता संख्या 69)	1287	0.02
		योग	1	0.02

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।



निर्णय आज दिनांक 13.02.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्वजीत सिंह)
सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी रायपुर
(एस.डी.ओ. रायपुर)

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी रायपुर
(एस.डी.ओ. रायपुर)

मूल वाद में डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी विश्वजीत सिंह (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या :-62/2020 (2020/00178)
 अन्तर्गत धारा :-53 आर.टी.एक्ट

दर्ज दिनांक 14.09.2020

शीर्षक

1. कस्तुरचन्द पिता कालुदान बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. गीतादेवी पत्नि कालुदान बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. राकेशकुमार पिता समुन्द्रसिंह बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रणजीतसिंह पिता समुन्द्रसिंह बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. पीरूसिंह पिता अबेसिंह बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. नादानसिंह पिता अबेसिंह बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. समताकंवर पुत्री अबेसिंह बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. रामकंवर पत्नि अबेसिंह बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. गणपत पिता भैरूदान बड़वा निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. ग्राम सेवा सहकारी समिति रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिये व्यवस्थापक
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

उपस्थिति:-

अधिवक्ता वादी:- हरिश चन्द्र टेलर
 प्रतिवादी सं० 1, 2:- जाकिर हुसैन
 प्रतिवादी सं० 9:- पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक : 13.02.2025

डिक्री दिनांक : 13.02.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कर्तई रुबरु न्यायालय उपखण्ड न्यायालय रायपुर बहाजरी अधिवक्ता वादी श्री हरिशचन्द्र टेलर व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री जाकिर हुसैन रंगरेज व पैरोकार सरकार हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे प्रस्तुत बटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज किया जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे०)
1	2	3	4	5
1	कस्तुरचन्द पुत्र कालूदान बड़वा 1/2, गीतादेवी पत्नि कालूदान बड़वा 1/2 सा. देह खातेदार	ग्राम सगरेव (खाता संख्या 69)	1286/3 1290/2 1285/1	0.02 0.15 0.05
		योग	3	0.22
2	रणजीसिंह पुत्र समुन्द्रसिंह बड़वा 1/2, राकेशकुमार पुत्र समुन्द्रसिंह बड़वा 1/2, सा. देह खातेदार	ग्राम सगरेव (खाता संख्या 69)	1286/2 1288/2 1290/1	0.08 0.09 0.05
		योग	3	0.22




सहायक कलक्टर
(एस.टी.ओ.) रायपुर

3	नादानसिंह पुत्र अबेसिंह बड़वा 1/4, पीरुसिंह पुत्र अबेसिंह बड़वा 1/4, रामकंवर पत्नि अबेसिंह बड़वा 1/4, समताकंवर पुत्री अबेसिंह बड़वा 1/4 सा. देह खातेदार	ग्राम सगरेव (खाता संख्या 69)	1285/2 1290/3	0.09 0.12
		योग	2	0.22
3	गणपतसिंह पुत्र भेरुदान बड़वा सा. देह खातेदार	ग्राम सगरेव (खाता संख्या 69)	1286/1 1288/1	0.10 0.12
		योग	2	0.22
4	सामलात बदस्तुर	ग्राम सगरेव (खाता संख्या 69)	1287	0.02
		योग	1	0.02

नीजNil.....मुबलिंग Nilबाबत् Nil
 खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर Nilफीस दी सालाना आज की
 तारीख से तारीख वसूलयाबी तक Nilका अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13.02.2025 को जारी किया गया।


 (विश्वजीत सिंह)
 सहायक कलक्टर पदेन
 उपखण्ड अधिकारी रायपुर
 (एस.डी.ओ.) रायपुर

मुद	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	—		स्टाम्प अरजीदया	—	
स्टाम्प वकीलात नामा	—		स्टाम्प वकीलात नामा	—	
स्टाम्प वजह सबूत	—		स्टाम्प वजह सबूत	—	
महनताना वकील ()	—		महनताना वकील ()	—	
खर्चा गवाह	—		खर्चा गवाह	—	
फीस कमीशनर	—		फीस कमीशनर	—	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	—		बाबत् इजराय हुक्मनामा	—	
मुनफरिक	—		मुनफरिक	—	
मीजान			मीजान		


 सहायक कलक्टर पदेन
 उपखण्ड अधिकारी रायपुर

